25.07.2024:—वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने निवेदन किया की लोक अदालत कि भावना से पक्षकारो के मध्य मे आपस मे राजीनाम हो गया है इसलिए वादी अपने वाद पत्र मे आगे काई कार्यवाही नही करना चाहते। वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विड्रा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उकत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत मे विड्रा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.06 10:47:51 IST
Reason: SelfAttested